संख्या-34/2022/2472/22-2-2021-ई-5/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी उपेन्द्र सत्संगी पुत्र श्री राजेन्द्र सत्संगी, निवासी जनपद-देवरिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ग्राम-बजाजी रोड, थाना-कोतवाली] जनपद-देवरिया का निवासी है। बंदी द्वारा मुकदमा व जमीन की रंजिश के कारण दिनांक 03.01.2001 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी तथा बंदी द्वारा बटवारे के विवाद के कारण बंदी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 04.08.1998 को कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-144]145/2001] में भा0द0वि0 की धारा-302/34] व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06] देवरिया के आदेश दिनांक 30.06.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

2- सत्र परीक्षण संख्या-49/2000 में भा0द0वि0 की धारा-307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय] अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश] कोर्ट सं0-06] देवरिया के दण्डादेश आदेश दिनांक 28.07.2011 द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.03.2021 तक 12 वर्ष, 01 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 05 माह, 04 दिन की सपरिहार काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, भोगी गयी सजा एवं बंदी की उम्र 58 वर्ष के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी उपेन्द्र सत्संगी (बन्दी संख्या-99/2018) पुत्र श्री राजेन्द्र सत्संगी, निवासी जनपद-देवरिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-34/2022/2472(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-देवरिया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।